

इसे वेबसाइट www.govtprint.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 सितम्बर 2023—आश्विन 7, शक 1945

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनायें

उपनाम परिवर्तन

मैं, सुग्रीव जाटव पुत्र श्री रामचरण हॉल निवासी ग्राम—करन्या खेड़ली, पोस्ट—पाण्डोला, तहसील—बड़ौदा, जिला—श्योपुर सूचित करता हूँ कि भविष्य में मुझसे संबंधित हर प्रकार के अभिलेखों में मेरा उपनाम जाटव की जगह बैरवा पढ़ा एवं पुकारा जावे।

पुराना नाम

नया नाम

(सुग्रीव जाटव)

(सुग्रीव बैरवा)

(G-1874)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी हुरसी केसो पिता श्री घनो, निवासी—ग्राम नामली, तहसील व जिला रत्लाम (म.प्र.) का निवासी होकर प्रार्थी की माता का नाम प्रार्थी की शैक्षणिक दस्तावेज में त्रुटिवश प्रेमु अंकित हो गया है एवं आधार एवं राशनकार्ड में प्रार्थी की माता का सही नाम सजो दर्ज है जो सही है। इसी प्रकार प्रार्थी के पिता का नाम भी प्रार्थी की शैक्षणिक दस्तावेज में त्रुटिवश धन्नालाल अंकित हो गया है, प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में घनों अंकित है जो सही है।

प्रार्थी,

(हुरसी केसो)

पिता—श्री घनो,

निवासी—ग्राम नामली, तहसील व

जिला रत्लाम (म.प्र.).

(G-1875)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मो. फैज़ गनम पिता स्व. शब्बीर गनम, निवासी—एफ—19, गली नम्बर 3, आनन्द कॉलोनी, रतलाम, मध्यप्रदेश मेरा नाम शैक्षणिक दस्तावेज में शहजाद गनम (Shaejad Ganam) पिता शब्बीर गनम लिखा गया है एवं अन्य दस्तावेजों में मो. फैज़ गनम पिता स्व. शब्बीर गनम अंकित है, उक्त दोनों नाम मेरे ही नाम है और मुझे दोनों नामों से जाना—पहचाना जाता है, और अब भविष्य में मुझे मो. फैज़ गनम पिता. स्व. शब्बीर गनम (Mohd. Faiz Ganam S/o Mohd. Shabbir Ganam) के नाम से ही जाना जावे.

पुराना नाम
(शहजाद गनम)
(SHAEJAD GANAM)
पिता—शब्बीर गनम.

नया नाम
(मो. फैज़ गनम)
(Mohd. Faiz Ganam)
पिता—स्व. शब्बीर गनम
(Mohd. Shabbir Ganam)

(G-1876)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती आराधना गौहर पुत्री श्री रमेश कुमार गौहर, निवासी—बाहर कोट, जिला—टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश) मेरा विवाह श्री पुरुषोत्तम प्रसाद नाहर जी, निवासी ग्राम पोस्ट गैसाबाद, तहसील हटा, जिला दमोह मध्यप्रदेश के साथ सम्पन्न हुआ था. शादी के पूर्व मेरा सरनेम गौहर था जो सभी दस्तावेजों में दर्ज है. लेकिन अब शादी के बाद मेरा सरनेम नाहर हो गया है. जिससे अब मेरे समस्त दस्तावेजों एवं शासकीय नौकरी में गौहर की जगह नाहर सरनेम पढ़ा एवं लिखा जावे. और भविष्य में मुझे श्रीमती आराधना नाहर के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम
(आराधना गौहर)

नया नाम
(आराधना नाहर)
पति—पुरुषोत्तम प्रसाद नाहर.

(G-1877)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम वियान राठोर (VIHYAN RATHORE) पिता श्री श्रवण राठोर है. मेरे शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम लालसिंह राठोर (LALSINGH RATHORE) पिता श्री श्रवण राठोर है. अब मैं अपना नाम लालसिंह राठोर (LALSINGH RATHORE) पिता श्री श्रवण राठोर के स्थान पर वियान राठोर (VIHYAN RATHORE) पिता श्री श्रवण राठोर कर रहा हूँ. अतः अब से मुझे इसी नाम से जाना—पहचाना जाएं.

पुराना नाम
(लालसिंह राठोर)
(LALSINGH RATHORE)

नया नाम
(वियान राठोर)
(VIHYAN RATHORE)
पिता—श्री श्रवण राठोर,
पता—पोस्ट गुराडियाकलां, अम्बाझर,
बागली, देवास (म.प्र.).

(G-1878)

नाम परिवर्तन

मैं, AMIT KUMAR पिता SURESH KUMAR VERMA,, निवासी—म. नं. 177, वॉर्ड नं. 3, मस्जिद के पास, रामपूरा रोड मनासा, जिला नीमच हामु. 95, सत्यम विहार कॉलोनी, मनासा, तहसील मनासा, जिला नीमच मध्यप्रदेश. मेरे शैक्षणिक दस्तावेज में मेरा नाम AMIT KUMAR पिता SURESH KUMAR VERMA व माता YASHODA, AMIT VERMA

पिता SURESH VERMA दर्ज है, व मेरे अन्य समस्त शासकीय व अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम AMIT VERMA पिता SURESH KUMAR VERMA दर्ज है, उपरोक्त दोनों नाम मेरे ही हैं। मुझे AMIT VERMA के नाम से ही जाना—पहचाना व पुकारा जाता है, भविष्य में मुझे AMIT VERMA पिता SURESH KUMAR VERMA व माता YASHODA VERMA के नाम से जाना—पहचाना व पुकारा जावे।

पुराना नाम
(अमित कुमार)
(AMIT KUMAR)
पिता—SURESH VERMA
माता—YASHODA

नया नाम
(अमित वर्मा)
(AMIT VERMA)
पिता—SURESH KUMAR VERMA
माता—YASHODA VERMA

(G-1879)

नाम परिवर्तन

हर्षित सिंह पुत्र श्री अजय तागड़े, निवासी—43 ए, चेतक पुल के पास, एम.पी. नगर, वार्ड 48, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश द्वारा संरक्षक पिता अजय तागड़े पुत्र श्री बलबीर तागड़े ने अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर हर्षित तागड़े कर लिया है तथा अब भविष्य में मेरा पुत्र हर्षित तागड़े के नाम से जाना—पहचाना जावे।

पुराना नाम
(हर्षित सिंह)

नया नाम
(हर्षित तागड़े)

(G-1880)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, योगेन्द्र सिंगरोल आत्मज श्री फतह सिंह, निवासी—दुर्गा मंदिर 610, क्वार्टर के सामने, हिनौतिया आलम, कोलार रोड, भोपाल, मध्यप्रदेश. पूर्व में मुझे योगी राज सिंगरोल/जुगरुवा/जोगी राज आत्मज श्री फतह सिंह के नाम से जाना—पहचाना जाता था तथा मैं अपना नाम योगी राज सिंगरोल/जुगरुवा/जोगी राज लिखता था। अब वर्तमान मेरा नाम योगेन्द्र सिंगरोल आत्मज श्री फतह सिंह के नाम से जाना—पहचाना जाता हूँ। मेरा परिवर्तित नाम योगेन्द्र सिंगरोल आत्मज श्री फतह सिंह पढ़ा—लिखा एवं मान्य किया जावे।

पुराना नाम
(योगी राज सिंगरोल/जुगरुवा/जोगी राज)

नया नाम
(योगेन्द्र सिंगरोल)
आत्मज—श्री फतह सिंह।

(G-1881)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, भाग्यश्री महाजन पत्नी श्री धीरज महाजन, निवासी—फ्लैट नं. एम—4, सेकंड फ्लोर, राजवेद कॉलोनी, साई आर्कड, कोलार रोड, भोपाल, म.प्र. विवाह के पूर्व मैं, भाग्यश्री मस्के पुत्री वी एस मस्के के नाम से जानी—पहचानी जाती थी तथा मैं अपना नाम भाग्यश्री मस्के पुत्री वी एस मस्के लिखती थी। अब वर्तमान मैं विवाहित होकर भाग्यश्री महाजन पत्नी श्री धीरज महाजन के नाम से जानी—पहचानी जाती हूँ। मेरा परिवर्तित नाम भाग्यश्री महाजन पत्नी श्री धीरज महाजन पढ़ा—लिखा एवं मान्य किया जावे।

पुराना नाम
(भाग्यश्री मस्के)
पुत्री—वी एस मस्के।

नया नाम
(भाग्यश्री महाजन)
पत्नी—श्री धीरज महाजन।

(G-1882)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती आरती सिसौदिया (ARTI SISODIYA) पत्नी प्रहलाद सिंह सिसौदिया, निवासी-196, सरकारी भवन, कोटरा सुल्तानाबाद, हुजूर, भोपाल (मध्यप्रदेश). मेरा पुराना नाम आरती हरिजन था. जो कि अब मैं अपने नये नाम आरती सिसौदिया पत्नी प्रहलाद सिंह सिसौदिया के नाम से जानी-पहचानी जाऊंगी, सभी शासकीय/अद्वशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम रहेगा.

पुराना नाम

नया नाम

(आरती हरिजन)

(आरती सिसौदिया)

(ARTI SISODIYA)

(G-1883)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपनी पत्नी डॉ. साधना सिंह के पुत्र आर्यन सिंह कुशवाह (Aryan Singh Kushwah) पुत्र श्री राजकुमार सिंह को दत्तक ले लिया है तथा अब समस्त प्रयोजनों के लिये वह मेरे पुत्र के रूप में माना जाएगा. अतः एतद्वारा उसका नाम परिवर्तन कर आर्यन उपाध्याय दत्तक पुत्र अभिनव उपाध्याय किया जाता है.

सूचनाकर्ता,

(दत्तक पुत्र-अभिनव उपाध्याय)

पुत्र-श्री राजेन्द्र उपाध्याय

निवासी-13, वुड्स रेजीडेन्सी,

सिरोल थाने के निकट, सिरोल,

ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1884)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक व सही नाम दीपक राठौर (DEEPAK RATHORE) पिता चैनसिंह राठौर (CHAIN SINGH RATHORE) माता फुन्दा बाई राठौर (FUNDA BAI RATHORE) है. जो कि सही मेरी माता का बोलता नाम ज्योतिबाई दर्ज हो गया है. अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम दीपक राठौर (DEEPAK RATHORE) पिता चैनसिंह राठौर (CHAIN SINGH RATHORE) माता फुन्दा बाई राठौर (FUNDA BAI RATHORE) के नाम से जाना-पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(दीपक)

(दीपक राठौर)

(DEEPAK)

(DEEPAK RATHORE)

पिता-चैनसिंह राठौर,

माता-फुन्दा बाई राठौर,

पता-136, चितावद कांकड़,

इन्दौर (म.प्र.).

(G-1885)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कोकिला लवानिया सूचित करती हूँ, कि पुर्व में मेरे पुत्र का नाम कुनाल दास (KUNAL DAS) पिता पिन्टू दास (PINTU DAS) था. जो कि उसके शैक्षणिक दस्तावेजों पर दर्ज है, किन्तु मेरा द्वितीय विवाह रोहित लवानिया (ROHIT LAWANIA) से होने के पश्चात् अब मेरे पुत्र का नाम कुनाल लवानिया (KUNAL LAWANIA) पिता पिन्टू दत्तक पिता रोहित लवानिया हो गया है. जो कि उसके आधार कार्ड पर भी दर्ज है. अतः आज दिनांक से मेरे पुत्र के सभी शैक्षणिक दस्तावेजों पर उसका नाम कुनाल लवानिया लिखा, पढ़ा जावे एवं भविष्य में इसी नाम से जाना—पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(कुनाल दास)	(कुनाल लवानिया)
(KUMAL DAS)	(KUNAL LAWANIA)
पिता—पिन्टू दास	पिता—पिन्टू (PINTU)
(PINTU DAS)	दत्तक पिता—रोहित लवानिया, पता—फ्लेट नं. 204, गिरनार परिसर, बड़ा बांगड़दा, इन्दौर (म.प्र.).
(G-1886)	

उपनाम परिवर्तन

हरिओम सिंह पुत्र श्री अजय तागड़े, निवासी—43 ए, चेतक पुल के पास, एम.पी. नगर, वार्ड 48, तहसील हुजूर, जिला भोपाल मध्यप्रदेश द्वारा पिता अजय तागड़े पुत्र श्री बलबीर तागड़े ने अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर हरिओम तागड़े कर लिया है तथा अब भविष्य में मेरा पुत्र हरिओम तागड़े के नाम से जाना पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(हरिओम सिंह)	(हरिओम तागड़े)
(G-1887)	

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कोकिला लवानिया सूचित करती हूँ, कि पूर्व में मेरे पुत्र का नाम पियूष दास (PIYUSH DAS) पिता पिन्टू दास (PINTU DAS) था. जो कि उसके शैक्षणिक दस्तावेजों पर दर्ज है, किन्तु मेरा द्वितीय विवाह रोहित लवानिया (ROHIT LAWANIA) से होने के पश्चात् अब मेरे पुत्र का नाम पियूष लवानिया (PIYUSH LAWANIA) पिता पिन्टू दत्तक पिता रोहित लवानिया हो गया है. जो कि उसके आधार कार्ड पर भी दर्ज है. अतः आज दिनांक से मेरे पुत्र के सभी शैक्षणिक दस्तावेजों पर उसका नाम पियूष लवानिया लिखा, पढ़ा जावे एवं भविष्य में इसी नाम से जाना—पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(पियूष दास)	(पियूष लवानिया)
(PIYUSH DAS)	(PIYUSH LAWANIA)
पिता—पिन्टू दास	पिता—पिन्टू (PINTU)
(PINTU DAS)	दत्तक पिता—रोहित लवानिया, पता—फ्लेट नं. 204, गिरनार परिसर, बड़ा बांगड़दा, इन्दौर (म.प्र.).
(G-1888)	

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम दिनेश पांडे पुत्र श्री श्रीकांत पांडे, निवासी—माधोगंज झूलेलाल मंदिर के पीछे, लश्कर, ग्वालियर मध्यप्रदेश है। मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम अनिल कुमार एवं पेन कार्ड में दिनेश पांडे और आधार कार्ड में भी दिनेश पांडे दर्ज है। उक्त दोनों नाम मेरे हैं। अतः मेरा सही नाम दिनेश पांडे है व मुझे दिनेश पांडे के नाम से जाना एवं पहचाना जावे।

पुराना नाम

(अनिल कुमार)

नया नाम

(दिनेश पांडे)

निवासी—माधोगंज झूलेलाल मंदिर के पीछे,
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1889)

नाम परिवर्तन

मैं, बिंदु गुप्ता (Bindu Gupta) पत्नी मनीष गुप्ता सर्वसाधारण को सूचित करती हूं, मेरे सभी शासकीय/अर्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम बिंदु गुप्ता (Bindu Gupta) पत्नी मनीष गुप्ता है जो की सही है परंतु मेरे आधार कार्ड में लिपिक त्रुटिवश सिंडा (Sinda) पत्नी मनीष गुप्ता दर्ज हो गया जो की गलत है। इस विज्ञाप्ति के बाद मुझे बिंदु गुप्ता (Bindu Gupta) पत्नी मनीष गुप्ता के नाम से ही जाना—पहचाना और पुकारा जाए।

पुराना नाम

(सिंडा)

(Sinda)

नया नाम

(बिंदु गुप्ता)

(Bindu Gupta)

पत्नी—मनीष गुप्ता,

1, संजय टाकीज रोड, सीहोर (म.प्र.).

(G-1890)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम आधार कार्ड में गुरुचरण कौर पत्नी स्व. श्री एस. एस. चीमा है तथा समस्त दस्तावेजों, शासकीय एवं अंकसूची में मेरा नाम मनजीत कौर चीमा है। यह दोनों ही मेरे नाम हैं मैंने अपना नाम आधार कार्ड में परिवर्तित कर मनजीत कौर (Manjeet Kaur) उर्फ गुरुचरण कौर कर लिया है अतः अब मुझे मनजीत कौर उर्फ गुरुचरण कौर के नाम से जाना एवं पहचाना जावे।

पुराना नाम

(गुरुचरण कौर)

नया नाम

(मनजीत कौर उर्फ गुरुचरण कौर)

(Manjeet Kaur Urf Gurucharan Kaur)

पता—म.न.—1351, अजुर्न वार्ड,

गांधी नगर, भोपाल (म.प्र.).

(G-1891)

नाम परिवर्तन

मैं, कहकशाँ अंजुम (Kahkashan Anjum) आत्मज एजाज खान (Ezaz Khan) सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ, मेरे सभी शासकीय/अर्धशासकीय दस्तावेजों मेरा नाम कहकशाँ अंजुम (Kahkashan Anjum) है जो की सही है परंतु मेरे आधार कार्ड में लिपिक त्रुटिवश कहकशाँ अंजुम (Kahkasha Anjum) दर्ज हो गया जो की गलत है। इस विज्ञप्ति के बाद मुझे कहकशाँ अंजुम (Kahkashan Anjum) के नाम से ही जाना-पहचाना और पुकारा जाए।

पुराना नाम	नया नाम
(कहकशाँ अंजुम)	(कहकशाँ अंजुम)
(Kahkasha Anjum)	(Kahkashan Anjum)
Address-2449, New Anand Nagar, Pasiyana Adhartal, Jabalpur (M.P.).	

(G-1892)

नाम परिवर्तन

सूचित हो कि मैं भावना दांगी पत्नी श्री मनोहर सिंह दांगी, मेरे दो जुड़वा पुत्र एवं पुत्री क्रमशः केशव प्रताप सिंह दांगी एवं नंदिनी दांगी हैं। मेरे बच्चों के शालेय अभिलेखों में मौँ का नाम अर्थात् मेरा नाम भूरी बाई दांगी अंकित हो गया है। भूरी बाई दांगी मेरा ही घरेलू नाम है। मुझे भूरी बाई दांगी तथा भावना दांगी दोनों ही नाम से जाना जाता है। मेरे समस्त दस्तावेजों जैसे कि मेरे आधार कार्ड, समग्र आई डी तथा मेरे बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र में भूरी बाई दांगी के स्थान पर भावना दांगी अंकित है। अतः मुझे भूरी बाई दांगी के स्थान पर भावना दांगी के नाम से जाना-पहचाना, लिखा व पढ़ा जाए। मेरे दोनों बच्चों के शैक्षणिक दस्तावेज में माता का नाम भूरी बाई दांगी के स्थान पर भावना दांगी दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
(भूरी बाई दांगी)	(भावना दांगी)
पत्नी—श्री मनोहर सिंह दांगी, पता—वार्ड नं. 23, बेदन खेड़ी, गंज बासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.).	

(G-1893)

नाम परिवर्तन

मैं, सुशीला देवी (Sushila Devi) सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ मेरे सभी शासकीय/अर्धशासकीय दस्तावेजों मेरा नाम सुशीला देवी (Sushila Devi) है जो की सही है। परंतु मेरे आधार कार्ड में लिपिक त्रुटिवश सुसीला देवी (Suseela Devi) दर्ज हो गया। जो की गलत है। इस विज्ञप्ति के बाद मुझे सुशीला देवी (Sushila Devi) के नाम से ही जाना-पहचाना और पुकारा जाए।

पुराना नाम	नया नाम
(सुसीला देवी)	(सुशीला देवी)
(Suseela Devi)	(Sushila Devi)
W/o Babulal Ram.	

(G-1894)

नाम परिवर्तन

मैं, गणेश चन्द्र शुक्ल (Ganesh Chandra Shukl) आत्मज लक्ष्मीनारायण शुक्ल, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ मेरे सभी शासकीय / अर्द्धशासकीय दस्तावेजों मेरा नाम गणेश चन्द्र शुक्ल (Ganesh Chandra Shukla) है जो कि सही है. परंतु मेरे आधार कार्ड में लिपिक त्रुटिवश गणेशचन्द्र शुक्ल (Ganeshchandra Shukl) दर्ज हो गया जो कि गलत है. इस विज्ञप्ति के बाद मुझे गणेश चन्द्र शुक्ल (Ganesh Chandra Shukla) के नाम से ही जाना, पहचाना और पुकारा जाए.

पुराना नाम

(गणेशचन्द्र शुक्ल)

(Ganeshchandra Shukl)

(G-1895)

नया नाम

(गणेश चन्द्र शुक्ल)

(Ganesh Chandra Shukla)

पता—म. नं. 449, बुधवारिया बाजार,
पीपलरावां, सोनकच्छ, देवास (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

I, AVINASH CHANDRA DANI hereby declare that I have changed my name as AVINASH DANI so from now and in future I will be known by my new name.

AVINASH DANI,

S/o Late Shri Madanlal Dani

Add.-C-1/408, Milan Heights,

Bicholi Mardana, Main Road, Indore (M.P.).

(G-1896)

PUBLIC NOTICE

With the effect from 14-05-2023 Notice is hereby given that the constitution of the partnership firm hereto before, subsisting between the undersigned and Shri Ajay Mehta, Smt. Rekha Sharma, Shivani Singh, Ms. Malti Bhojwani, Ms. Vinita Mohindra, Shri Vineet Godha, Shri Puneet Godha, Mrs. Sangeeta Godha, Mrs. Shaifali Godha and Mr. Akhlish Shukla vide deed of partnership dated 31-08-2022 for carrying on business of managing a hospital, in the firm name and style as M/S Sawaria Associates Bhopal has been changed.

The detail of change is as under :- dated :14-05-2023. Shri Ajay Mehta, Smt. Rekha Sharma, Shivani Singh, Ms. Malti Bhojwani and Ms. Vinita Mohindra have retired from the partnership firm.

For-M/s Sawaria Associates,

(PUNEET GODHA)

(Partner).

Add:-130, Malviya Nagar,
Bhopal (M.P.).

(G-1897)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जा रहा है कि मेरा पूर्व नाम सुमित आहूजा (SUMIT AHUJA) (पुराना नाम) जो कि अब, मैं अपने सभी दस्तावेजों पर अपना वास्तविक नाम सुमित आहूजा (SUMITH AHUJA) पिता श्री जगदीश आहूजा प्रकाशन उपरांत में भविष्य में सुमित आहूजा (SUMITH AHUJA) पिता श्री जगदीश आहूजा नाम से जाना एवं पहचाना जाऊंगा. उपरोक्त दोनों नाम सुमित आहूजा (SUMITH AHUJA) पिता श्री जगदीश आहूजा व नाम सुमित आहूजा (SUMIT AHUJA) एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे हैं.

अतः भविष्य में सभी जगह मुझे मेरे नये नाम सुमित आहूजा (SUMITH AHUJA) पिता श्री जगदीश आहूजा के नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा एवं बोला, दर्ज किया जावे।

पुराना नाम (सुमित आहूजा) (SUMIT AHUJA)	नया नाम (सुमित आहूजा) (SUMITH AHUJA)
	पिता—श्री जगदीश आहूजा।

(G-1898)

नाम परिवर्तन

मैं संगीता श्रीवास्तव पत्नी स्व. अमोद श्रीवास्तव, निवासी भोपाल, यह सूचित करती हूँ कि पूर्व में मेरी पुत्री का नाम ओशीन श्रीवास्तव था जो परिवर्तित कर अब डोना श्रीवास्तव हो गया है। भविष्य में उसे इसी नाम से जाना जाये।

(G-1899)

भवदीय,
संगीता श्रीवास्तव

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम शैलेन्द्र सिंह बेलिया पिता श्री रामप्रसाद सिंह (जो कि मेरा गौत्र अनुसार उपनाम था) जो कि मेरे आधार कार्ड में दर्ज है, जबकि अब, मैंने अपना नाम बदलकर शैलेन्द्र सिंह तोमर पिता रामप्रसाद सिंह तोमर (SHAILENDRA SINGH TOMAR S/o RAMPRASAD SINGH TOMAR) रख लिया है, उपरोक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे हैं। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शैलेन्द्र सिंह तोमर पिता रामप्रसाद सिंह तोमर के नाम से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा जावे।

(G-1900)

पुराना नाम (शैलेन्द्र सिंह बेलिया)	नया नाम (शैलेन्द्र सिंह तोमर)
	निवासी—२६३, स्टील फर्नीचर फैक्ट्री के पास, राजाराम नगर, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम लखन यादव पिता श्री महेश यादव था जबकि अब मैंने अपना नाम बदलकर लक्ष्य यादव पिता महेश यादव (Lakshya Yadav S/o Mahesh Yadav) रख लिया है, उपरोक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे हैं। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम लक्ष्य यादव पिता महेश यादव के नाम से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा जावे।

(G-1901)

पुराना नाम (लखन यादव)	नया नाम (लक्ष्य यादव)
	निवासी—१७०, अशोक नगर, एयरपोर्ट रोड, इन्दौर (म.प्र.).

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम जितेन्द्र बेलिया पिता श्री रामप्रसाद (जो कि मेरा गौत्र अनुसार उपनाम था) जो कि मेरे आधार कार्ड में दर्ज है, जबकि अब मैंने अपना नाम बदलकर जितेन्द्र सिंह तोमर पिता रामप्रसाद सिंह

तोमर (JITENDRA SINGH TOMAR S/o RAMPRASAD SINGH TOMAR) रख लिया है, उपरोक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे हैं। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम जितेन्द्र सिंह तोमर पिता रामप्रसाद सिंह तोमर के नाम से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा जावे।

<p>पुराना नाम (जितेन्द्र बेलिया)</p> <p>(G-1902)</p>	<p>नया नाम (जितेन्द्र सिंह तोमर) निवासी—263, स्टील फर्नीचर फैक्ट्री के पास, राजाराम नगर, इन्दौर (म.प्र.).</p>
--	---

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जा रहा है कि दिनांक 19—07—2013 को गठित होकर क्रियाशील हुई भागीदारी फर्म मेसर्स माँ वैष्णव कन्स्ट्रक्शन में पूर्व में भागीदार क्रमशः 1. श्री राजेन्द्र सिंह यादव, 2. श्री यू. के. तिवारी, 3. श्री बहादुर सिंह यादव, 4. श्री जयहिंद सिंह यादव थे, जिसमें पूर्व में ही पक्षकार क्र. 2 श्री यू. के. तिवारी एवं पक्षकार 3. श्री बहादुर सिंह यादव अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं आज दिनांक 04—09—2023 को भागीदार क्रमांक—3 श्री सोमराज तिवारी पुत्र श्री उमेश तिवारी, आयु 23 वर्ष, निवासी—वार्ड नं. 01, ग्राम देवलपुर, पन्ना, मध्यप्रदेश—488001 फर्म में सम्मिलित हो गये हैं और इस संबंध में आज दिनांक 04—09—2023 को ही संशोधित भागीदारी पत्रक का निष्पादन हुआ है और जो आज से ही प्रभावशील मानते हुए लेखबद्ध किया गया है।

<p>(G-1903)</p>	<p>मेसर्स माँ वैष्णव कन्स्ट्रक्शन (राजेन्द्र सिंह यादव) पार्टनर.</p>
-----------------	--

नाम परिवर्तन

मैं, दीपक कुमार शर्मा पुत्र कैलाश चंद शर्मा सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र का पूर्व नाम आरव शर्मा और शिवा पाराशर था, जो मेरे पुत्र की बीमा पॉलिसियों में लिखा गया है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मेरे पुत्र को शाश्वत पाराशर के नाम से जाना—पहचाना एवं पुकारा जाता है। जो मेरे पुत्र के आधार कार्ड इत्यादि अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। अतः मेरे पुत्र की बीमा पॉलिसियों में मेरे पुत्र का नाम आरव शर्मा और शिवा पाराशर के स्थान पर शाश्वत पाराशर लिखा एवं पढ़ा जावे।

<p>(G-1904)</p>	<p>सूचनाकर्ता दीपक कुमार शर्मा पुत्र कैलाश चंद शर्मा पता—वार्ड नं. 05, फतेह चंद कॉलोनी, सबलगढ़, मुरैना (म.प्र.)</p>
-----------------	---

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे शैक्षणिक एवं शासकीय /अशासकीय दस्तावेजों में पिताजी का नाम नानो लाल सलामे, नान्हू नानू सलामे लिखा है। उक्त तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। प्रकाशन उपरांत मुझे सुभाष सलामे पुत्र स्व. श्री नानो लाल सलामे के नाम से जाना—पहचाना एवं दर्ज किया जावे।

<p>पुराना नाम (सुभाष सलामे)</p> <p>पुत्र स्व. श्री नान्हू लाल सलामे</p> <p>पुत्र स्व. श्री नानू लाल सलामे</p> <p>(G-1905)</p>	<p>नया नाम (सुभाष सलामे)</p> <p>पुत्र स्व. श्री नानो लाल सलामे</p>
---	--

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम आधार कार्ड एवं पैन कार्ड में आदर्श पंचेश्वर पुत्र स्व. श्री रामकिशोर पंचेश्वर लिखा है जो सही है. कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम आदर्श पांचे पिता स्व. श्री रामकिशोर पांचे लिखा है जो त्रुटिपूर्ण है. प्रकाशन उपरांत मुझे आदर्श पंचेश्वर पिता स्व. श्री रामकिशोर पंचेश्वर के नाम से जाना—पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(आदर्श पांचे)

पुत्र स्व. श्री रामकिशोर पांचे

(G-1906)

नया नाम

(आदर्श पंचेश्वर)

पुत्र स्व. श्री रामकिशोर पंचेश्वर

नाम परिवर्तन

मैं, अनुसया बाई पिछोड़े पति स्व. श्री उमेदलाल पिछोड़े, निवासी—वार्ड नं. 17, ग्राम भरवेली, तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.). मेरा नाम श्रीमती अनुसया बाई पिछोड़े पति स्व. श्री उमेदलाल पिछोड़े हैं जो कि मेरे शासकीय /अशासकीय आदि अभिलेखों में दर्ज है किन्तु मेरे पुत्र कुलदीप पिछोड़े की शैक्षणिक दस्तावेजों एवं अन्य शासकीय अभिलेखों में मेरा नाम सुकवंती दर्ज हो गया है. अनुसया बाई पिछोड़े, श्यामबती बाई पिछोड़े एवं सुकवंती ये तीनों मेरे ही नाम हैं. एक ही महिला से संबंधित हैं, सभी शासकीय एवं अशासकीय अभिलेखों में मेरा नाम अनुसया बाई पिछोड़े ही पढ़ा—लिखा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(सुकवंती बाई)

श्यामबती बाई पिछोड़े

(G-1907)

नया नाम

(अनुसया बाई पिछोड़े)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, भावना खेड़े पति श्री अनंत खेड़े, निवासी —ग्राम टोकी नर्मदा घाम कोलोनी, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन (म. प्र.) यह कि विवाह पूर्व मेरा नाम कु. भावना पिता अशोक बिल्लौरे था. विवाह पश्चात् मेरा नाम श्रीमती भावना पति श्री अनंत खेड़े हो गया है. संशोधन पश्चात् मेरा सही नाम श्रीगती भावना खेड़े पति श्री अनंत खेड़े से जाना—पहचाना, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(कु. भावना)

पिता—अशोक बिल्लौरे

(G-1908)

नया नाम

(श्रीमती भावना)

पति—श्री अनंत खेड़े

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स कश्यप एण्ड कम्पनी एचपीसीएल रिटेल आउटलेट, 204, जवाहर मार्ग, राज मोहल्ला चौराहा पर स्थित भागीदार फर्म होकर इसमें श्री पीयूष कुमार शाह एवं श्री मेघ शाह भागीदार हैं, इसमें से एक भागीदार श्री पीयूष कुमार शाह निवृत्त हो रहे हैं एवं उनके स्थान पर उनके पुत्र श्री गोपाल शाह को भागीदार के रूप में भागीदारी लेख दिनांक 16-8-2023 के अनुसार समिलित किया जा रहा है. जिसके संबंध में किसी भी व्यक्ति, संस्था या निकाय आदि को किसी भी प्रकार की आपत्ति उजर आदि हो तो इस जाहिर सूचना के प्रकाशन से 7 दिन की समय अवधि में लिखित में मय दस्तावेज के संपर्क करें अन्यथा बाद मियाद उक्त प्रस्तावित श्री गोपाल शाह को मेसर्स कश्यप एण्ड कम्पनी एचपीसीएल रिटेल आउटलेट में भागीदार बना दिया जावेगा तत्पश्चात् कोई आपत्ति या उजर मान्य नहीं होगा, सो सूचित हो.

मेसर्स कश्यप एण्ड कम्पनी एचपीसीएल रिटेल आउटलेट

(मेघ शाह)

पार्टनर.

(G-1909)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी भागीदारी फर्म "SATNA AGRO OVERSEAS" पंजीयन क्रमांक 5-26-01-0079-17, पंजीयन दिनांक 15-09-2017, पता-KN /99/2/2/KH/1/2, 2 KM MILESTONE, OPP MAA LAXMI STONE CRUSHER TEH. RAGHURAJ NAGAR, DISTT. SATNA (M. P.) PIN CODE-485001 कार्यालय, फर्म एवं संस्थाएं रीवा, शहडोल संभाग, रीवा से पंजीकृत फर्म हैं। फर्म के पूर्व भागीदार 1. Shri Manoj Kumar Krishnani S/o Shri Kakku Mal Krishnani, 2. Shri Dinesh Khubwani S/o Shri Chandumal Khubwani 3. Shri Tanishque Sukheja S/o Shri Sushil Sukheja, 4. Shri Vansham Sukheja S/o Shri Sushil Sukheja पार्टनर थे, यह कि वर्तमान में इस भागीदारी फर्म की रचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :—उक्त दिनांक 23-08-2023 को फर्म की भागीदारी से 1. Shri Dinesh Khubwani S/o Shri Chandumal Khubwani, 2. Shri Tanishque Sukheja S/o Shri Sushil Sukheja, 3. Shri Vansham Sukheja S/o Shri Sushil Sukheja अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये और निकलने वाले साझेदार की किसी भी प्रकार की लेनदारी व देनदारी शेष नहीं है। उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 23-08-2023 को फर्म की भागीदारी में नवीन साझेदार 1. Shri Mayank Krishnani S/o Shri Manoj Kumar Krishnani, Aged 27 Years, Residing of Krishna Nagar, Satna, Madhya Pradesh-485001 को सम्मिलित किया गया। फर्म में वर्तमान में निम्नलिखित साझेदार भागीदार हैं :—

1. Shri Manoj Kumar Krishnani

2. Shri Mayank Krishnani

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अगर फर्म के किसी भी पार्टनर को कोई दिक्षित हो तो 7 दिवस के भीतर सूचित करें।

For : SATNA AGRO OVERSEAS

(MANOJ KUMAR KRISHNANI)

(G-1910)

Partner.

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/s Harsh Packaging Co. फर्म पंजीयन क्र. 01-01-01-0179-23, दिनांक 10/09/2023 के 4 भागीदारों, आयुष अग्रवाल आत्मज श्री महेन्द्र अग्रवाल, श्रीमती मेघना अग्रवाल पत्नी श्री अभय अग्रवाल, श्रीमती मीनल अग्रवाल पत्नी श्री आयुष अग्रवाल, श्रीमती अन्नू अग्रवाल पत्नी श्री महेन्द्र अग्रवाल के अतिरिक्त फर्म की भागीदारी में दिनांक 14-09-2023 से अभय अग्रवाल आत्मज श्री महेन्द्र अग्रवाल सम्मिलित हो गये हैं, वर्तमान में भागीदार आयुष अग्रवाल आत्मज श्री महेन्द्र अग्रवाल, श्रीमती मेघना अग्रवाल पत्नी श्री अभय अग्रवाल, श्रीमती मीनल अग्रवाल पत्नी श्री आयुष अग्रवाल, श्रीमती अन्नू अग्रवाल पत्नी श्री महेन्द्र अग्रवाल एवं अभय अग्रवाल आत्मज श्री महेन्द्र अग्रवाल द्वारा फर्म संचालित रहेगी।

M/s Harsh Packaging Co.

आयुष अग्रवाल श्रीमती मेघना अग्रवाल श्रीमती मीनल अग्रवाल श्रीमती अन्नू अग्रवाल अभय अग्रवाल

(Partner).

(Partner).

(Partner).

(Partner).

(Partner).

(G-1911)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी भागीदारी फर्म "M/s Kumar Shanu Singh And Company", पंजीयन क्रमांक ५-२३-०१-००१३८-११, पंजीयन दिनांक २९-१२-२०११, पता—Ward No. 1, Near Regional Hospital, Dhanpuri, Distt. Shahdol (M.P.) Pin Code-484114 कार्यालय, फर्म में पूर्व में भागीदार १. Shri Mukesh Kumar Singh S/o Shri Deena Nath Singh, २. Shri Arun Kumar Singh S/o Shri Deena Nath Singh, ३. Smt. Rani Singh D/o Shri Kamleshwar Shukla ४. Shri Awadhesh Shukla S/o Shri Kamleshwar Shukla पार्टनर थे, जिसमें दिनांक ०१-०४-२०२३ को १. Shri Arun Kumar Singh S/o Shri Deena Nath Singh, २. Shri Awadhesh Shukla S/o Shri Kamleshwar Shukla अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये और निकलने वाले साझेदार की किसी भी प्रकार की लेनदारी व देनदारी शेष नहीं हैं। जिन्होंने आपसी सहमति से दिनांक ०१-०४-२०२३ को फर्म में नवीन पार्टनर १. Shri Sourav Singh S/o Shri Mukesh Singh, Aged about 20 Years, Resident of Ward No. 1, Saraogi Colony, Behind Gaikwad Garrage, Dhanpuri, Distt. Shahdol (M. P.)-484114 को सम्मिलित किया गया है। साथ ही दिनांक ०१-०४-२०२३ को साझेदार Smt. Rani Singh Daughter of Shri Kamleshwar Shukla के नाम में परिवर्तन किया गया। उक्त साझेदार वर्तमान नाम नवीन नाम Smt. Rani Singh W/o Shri Mukesh Singh किया गया। उक्त दिनांक ०१-०४-२०२३ को ही Shri Mukesh Kumar Singh S/o Shri Deena Nath Singh, Aged about 48 Years, Resident of Near Regional Hospital, Dhanpuri, Distt. Shahdol (M.P.) Pin Code 484114, २. Smt. Rani Singh Daughter of Shri Kamleshwar Shukla aged about 43 Years, Resident of Near Regional Hospital, Dhanpuri, Distt. Shahdol (M.P.) Pin Code 484114 के पते में परिवर्तन किया गया। उक्त साझेदारों का वर्तमान पता १. Shri Mukesh Kumar Singh S/o Shri Deena Nath Singh, Aged about 48 Years, Resident of Ward No. 1, Saraogi Colony, Behind Gaikwad Garrage, Dhanpuri, Distt. Shahdol (M.P.) Pin Code-484114, २. Smt. Rani Singh W/o Shri Mukesh Singh, Aged about 43 Years, Resident of Ward No. 1, Saraogi Colony, Behind Gaikwad Garrage, Dhanpuri, Distt. Shahdol (M. P.)-484114 किया गया। अगर फर्म के किसी भी पार्टनर को कोई दिक्कत हो तो ७ दिवस के भीतर सूचित करें।

M/s Kumar Shanu Singh And Company

(MUKESH KUMAR SINGH)

Partner.

(G-1912)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स सन वेली एग्रो फूड पार्क, रजिस्टर्ड पता—वार्ड नं. १०, ग्राम धामनोद, मुख्तानंद परिसर, धरमपुरी, जिला धार, (म. प्र.) में स्थित है। जिसका पंजीयन क्र. ०३-२८-०५-०२३२-१९, दिनांक ११-०१-२०१९ है, जिसमें दो भागीदार (१) श्रीमती मीना बंसल पिता श्री हरिराम बंसल, (२) श्री संजीव कुमार पिता श्री ब्रजनंदन राम हैं। मेसर्स सन वेली एग्रो फूड पार्क भागीदारी फर्म में भागीदार श्री संजीव कुमार पिता श्री ब्रजनंदन राम को फर्म से दिनांक ०७-०४-२०२२ को निष्पादित भागीदारी लेख द्वारा पृथक् किया गया है एवं मानसी बंसल पिता स्व. श्री सतीश बंसल, निवासी—वार्ड नं. १०, ग्राम धामनोद, मुख्तानंद, परिसर, धरमपुरी, जिला धार, (म. प्र.) को नये भागीदार के रूप में लिया गया है। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

वास्ते—फर्म सन वेली एग्रो फूड पार्क

(मीना बंसल)

(G-1913)

भागीदार।

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट अधिकारी उज्जैन नगर, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश

क्रमांक/एसडीएम नगर/रीडर-1/2023/H.N.324

उज्जैन, दिनांक 14 सितम्बर, 2023

प्र./क्र./0018-B-113-2023-24

प्रारूप—चार

[नियम-5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1959 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2)

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5(1) देखिए]

पंजीयक,
लोक न्यास,
उज्जैन, जिला उज्जैन के समक्ष.

चूंकि आवेदक श्री भारत भूषण शर्मा, निवासी— 21, मंगलनाथ रोड गंगा घाट, उज्जैन, मध्यप्रदेश द्वारा "परम पूज्य मौनी बाबा ट्रस्ट" उज्जैन (मध्यप्रदेश) कार्यालय— 21, गंगा घाट, उज्जैन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में लोक न्यास के रूप में पंजीकृत कराने के लिये आवेदन किया है, एतद्वारा यह सूचना दिया जाता है कि आवेदक मेरे न्यायालय में दिनांक 19—10—2023 को दोपहर 03:00 बजे स्थान—सम्राट विक्रमादित्य प्रशासनिक संकुल भवन के प्रथम तल में खण्ड—स के कक्ष क्रमांक—101 में विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है।

अतः मैं, पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन नगर जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 14 सितम्बर 23 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यवाही, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपरिथित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्राह्य नहीं किया जाएगा।

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम	:	"परम पूज्य मौनी बाबा ट्रस्ट".
कार्यालय	:	21, गंगा घाट, उज्जैन.
अचल सम्पत्ति	:	वर्तमान वर्तमान में न्यास के पास ग्राम भीतरी स्थित भूमि सर्वे नम्बर 193 रकबा 0.0520, सर्वे नम्बर 194 रकबा 0.0730, सर्वे नम्बर 195 रकबा 0.0520, सर्वे नम्बर 196/1/1 0.0310, सर्वे नम्बर 196/1/2/2 रकबा 0.1260, सर्वे नम्बर 196/3 रकबा 0.2090 एवं 196/1/3 रकबा 0.0420 भूमि अचल संपत्ति दर्शाई है।
चल सम्पत्ति	:	वर्तमान में न्यास के पास 33783/-रु. चल संपत्ति दर्शाई है।

(G-1914)

लक्ष्मीनारायण गर्ग, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी।

कार्यालय, पंजीयक लोकन्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश प्र.क्र./0001/वी-113(1)/2022-2023

टीकमगढ़, दिनांक 31 अगस्त, 2023

एतद्वारा समस्त नगर ग्रामवासी टीकमगढ़ को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री सुनील कुमार भायजी पुत्र स्व. श्री हुकमचंद्र शास्त्री, निवासी सुभाषपुरम कॉलोनी, टीकमगढ़ अध्यक्ष श्री श्री 1008 आदिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर, सिविल लाईन टीकमगढ़ के द्वारा "श्री श्री 1008 आदिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर, सिविल लाईन" का ट्रस्ट बनाये जाने हेतु आवेदन पत्र लोक न्यास अधिनियम 1951 लोक न्यास की धारा 4(3) के तहत प्रस्तुत किया गया है।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है अन्तर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शित अचल सम्पत्ति एवं परिशिष्ट-2 में दर्शित चल सम्पत्ति के संबंध में जिस किसी व्यक्ति को काई आपत्ति हो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से दिनांक 30 सितम्बर 2023 को मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, उक्त अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट-1

(लोक न्यास और अचल सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम: "श्री श्री 1008 आदिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर, सिविल लाईन टीकमगढ़ म.प्र."

अचल सम्पत्ति:-

क्र.	अचल सम्पत्ति	अनुमानित कीमत
1.	टीकमगढ़ खास स्थित भूमि खसरा नम्बर 403/1 (एस) स्थित नवनिर्मित मंदिर अध्यक्ष श्री सुनील कुमार भायजी के नाम	90,00,000/- (नब्बे लाख रुपये)
2.	मंदिर में विराजमान मूर्ति	25,00,000/- (पचास लाख रुपये)
3.	मूर्ति पाषाण प्रथम मंजिल 1 एवं वेदी	10,00,000/- (दस लाख रुपये)
4.	मूर्ति पाषाण द्वितीय मंजिल 3 एवं वेदी	11,00,000/- (ग्यारह लाख रुपये)
कुल योग:-		1,36,00,000/- (एक करोड़ छत्तीस लाख)

परिशिष्ट-2

(चल सम्पत्ति का विवरण)

चल सम्पत्ति:-

क्र.	चल सम्पत्ति	मात्रा	अनुमानित कीमत
1.	मूर्ति धातु 11 इंच 49 इंच	4	411000/-
2.	सिंहासन	12	25000/-
3.	श्री विनायक सिद्ध यंत्रजी	8	7000/-
4.	छत्र बड़े तीन खण्डपीठ चांदी के	4	400000/-
5.	छत्र छोटे चांदी के	9	50000/-
6.	अष्टप्रातः हार्य	24	5000/-
7.	छत्तर पीतल 9 चवर छोटे 4 बड़े 4	8	6000/-

क्र.	चल सम्पत्ति	मात्रा	अनुमानित कीमत
8.	पाढ़ुक शिला चांदी	1	150000/-
9.	पाढ़ुक शिला स्टील	2	20000/-
10.	झारी चांदी 2 स्टील 2	4	60000/-
11.	अलमारी शास्त्र	2	15000/-
12.	पंखा बिजली वाले	21	45000/-
13.	घड़ी	2	1000/-
14.	कुर्सी	10	5000/-
15.	तखत 1 पाटला 2 एवं 6 पटा 16	25	50000/-
16.	टेबिल बड़ी 8 मीडियम 12 छोटी 12	32	200000/-
17.	द्रव्य टबिल लकड़ी	2	10000/-
18.	टेबिल बड़ी 4 टेबिल शीशम 2	6	60000/-
19.	लकड़ी स्टूल	2	5000/-
20.	स्टूल प्लास्टिक 38 एवं 8	46	14000/-
21.	साउण्ड बॉक्स 1 गौलक 1	2	40000/-
22.	इन्वर्टर	1	20000/-
23.	घन्टा 1 घंटी 1	2	10000/-
24.	केमरा 6 डीबीआर 6 एवं 1	7	51000/-
25.	बोर में जीवाणी मंत्र मोटर सहित	1	36000/-
26.	चांदी थाली	1	24000/-
27.	पीतल थाली पूजा सेट	60	70000/-
28.	तांबे बर्तन (गुंडी, लोटा, डंका, प्लेट, कटोरी)	20	15000/-
कुल योग:-		1805000/- (अठारह लाख पाँच हजार रुपये)	

(G-1915)

संजय कुमार दुबे, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय, पंजीयक न्यास अनुविभागीय अधिकारी, दमोह मध्यप्रदेश

रा.प्र.क्रमांक 01/ब-113(4)/2023-24

दमोह, दिनांक 1,5 सितम्बर 2023

प्रारूप 4

[देखें नियम 6(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियमानुसार (1) के द्वारा]

यह कि श्री दीपक कुमार जैन, ग्राम सदगुवां, तहसील पथरिया, जिला दमोह ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन—पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में

पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है। एतदद्वारा सूचना—पत्र दिया जाता है कि कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना—पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा।

अनुसूची

लोक न्यास का नाम और पता :	श्री अनंत पाश्वरनाथ दिगम्बर जैन सदगुवां न्यास, दमोह जिला दमोह।
संपत्ति का विवरण :	श्री अनंत पाश्वरनाथ दिगम्बर जैन सदगुवां न्यास, मौजा हिरदेपुर, दमोह जिला दमोह। स्थित ख.नं. 116/3, रक्वा 0.37 हे याने क्षेत्रफल 4009 वर्गफुट भूमि।

(G-1916)

आर. एल. बागरी, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)।

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं पंजीयक लोक न्यास बरेली जिला रायसेन मध्यप्रदेश
बरेली, दिनांक 25 अगस्त 2023

प्ररूप क्र. 4

[देखें नियम 5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]
लोक न्यासों के पंजीयक बेरली, जिला रायसेन के समक्ष।

यतः कि श्री देवेन्द्र सिंह पटेल पुत्र श्री रघुराज सिंह पटेल, निवासी ग्राम गडरवास, तहसील बाड़ी ने मध्यप्रदेश लोक न्यास, अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतदद्वारा सूचना—पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 09-06-2023 दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना—पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

श्री दिग्विजयश्वर महादेव मंदिर मांगरोल, तहसील बरेली, जिला रायसेन मध्यप्रदेश ग्राम मांगरोल तहसील बरेली, जिला रायसेन स्थित भूमि खसरा नंबर 383/2/2 रक्बा—0.041 हे. भूरा. 0.42 रुपया (अनुमानित कीमत 300000 रुपया)।

(G-1917)

संतोष मुदगल, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)।

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभाग—देवास, जिला देवास, मध्यप्रदेश

देवास, दिनांक 01 सितम्बर 2023

[पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1961 की धारा 5(2) व पब्लिक ट्रस्ट नियम, 1962 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक अध्यक्ष श्री विनोद कुमार जायसवाल, जायसवाल समाज चेरिटेबल ट्रस्ट, 102, चन्द्रशेखर आजाद मार्ग, देवास (मध्यप्रदेश) द्वारा इस न्यायालय में, समक्ष में उपस्थित होकर “जायसवाल समाज चेरिटेबल ट्रस्ट, 102, चन्द्रशेखर आजाद मार्ग, देवास (मध्यप्रदेश) के नाम से दर्ज ट्रस्ट में आवेदन—पत्र में अंकित बिन्दू कमांक 1 लगायत 5 तक ट्रस्ट डीड में निम्नानुसार अतिरिक्त कंडिकाएँ जोड़ने हेतु आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया गया है :—

- जायसवाल समाज चेरिटेबल ट्रस्ट के नीचे समाज की व्याख्या के लिए ब्रेकेट में सर्ववर्गीय कलाल समाज जोड़ा जाए।

2. पृष्ठ क्र. 4 में वर्णित संचालक मण्डल के गठन में 12 संस्थापक ट्रस्टीयों की जगह उनमें से 7 संस्थापक ट्रस्टी एवं बाकी 16 ट्रस्टी पुराने एवं नए आजीवन ट्रस्टीयों में से सर्वसम्मति से लिए जाएंगे।
3. पृष्ठ क्र. 5 में वर्णित की जगह यदि कोई ट्रस्टी या नामांकित व्यक्ति की मृत्यु उत्तराधिकारी की घोषणा किए बिना हो जाती है एवं यदि उनकी पुत्री समाज में विवाहित है, तो ट्रस्टी बन सकती है। अन्य समाज में विवाह करने पर समाज से अलग मानी जाएगी एवं ट्रस्टी के लिए अयोग्य होगी।
4. पृष्ठ क्र. 7 में वर्णित ट्रस्टीयों की संख्या ट्रस्ट के विकास एवं धर्मशाला निर्माण हेतु नए ट्रस्टी बढ़ाने के विषय में दिनांक 9–10–2022 की साधारण सभा की मीटिंग में ट्रस्टी बनाने हेतु रु. 1,51,000/- में आजीवन ट्रस्टी एवं रु. 3,51,000/- में कमरा निर्माण सहित आजीवन ट्रस्टी बनाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, तदानुसार सभी नए ट्रस्टी भी आजीवन ट्रस्टी रहेंगे एवं जो कमरा निर्माण की घोषणा करेंगे उन पर कमरा निर्माण की राशि समयानुसार परिवर्तन होगी जो उन्हें मान्य होगी।
5. निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद कोई भी नया ट्रस्टी नहीं बनाया जाएगा।

अतः जायसवाल समाज चेरिटेबल ट्रस्ट, 102, चन्द्रशेखर आजाद मार्ग, देवास (मध्यप्रदेश) ट्रस्ट में उपरोक्तानुसार अतिरिक्त कंडिकाएं बिन्दु कमांक 1 लगायत 5 तक जोड़ने में यदि किसी व्यक्ति विशेष अथवा कोई संस्था को किसी भी प्रकार की कोई दावा/आपत्ति हो तो वह अपनी लिखित आपत्ति आगामी पेशी दिनांक 03–10–2023 को समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। नियत समयावधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली किसी भी प्रकार की दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा प्रकरण में आगामी कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।

आज दिनांक 01 सितम्बर 2023 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(G-1918)

बिहारी सिंह, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार।

अन्य सूचनाएं

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बुरहानपुर वनमंडल सा. बुरहानपुर

क्र./मा.चि./2023/1206

बुरहानपुर, दिनांक 21 अगस्त, 2023

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न में दर्शाया गया पासिंग हेमर वनपरिक्षेत्र नेपानगर, को चालान नंबर 231 दिनांक 27–02–2023 द्वारा कूप नंबर VI चांदनी कक्ष क्र. 194 की मार्किंग कार्य हेतु जारी किया गया था। नेपानगर परिक्षेत्र द्वारा श्री विजय कन्नौजे वनरक्षक बीट चांदनी के प्रभार में दिया गया था।

वनपरिक्षेत्राधिकारी नेपानगर के पत्र क्र. 129, दिनांक 19–01–2023 एवं 786, दिनांक 12–06–2023 द्वारा अवगत कराया गया कि निम्न दर्शित पासिंग हेमर NK↑331 श्री विजय कन्नौजे वनरक्षक को प्रदाय किया गया था। उक्त हेमर IWC कूप क्र. VI की कटाई कार्य के उपरांत वनोपज को परिवहन कराते समय उक्त हेमर वनक्षेत्र में गुम हो गया है। हेमर की खोज बीन करने एवं स्थानीय स्तर पर पुछताछ की गई है। परंतु उक्त हेमर नहीं मिला। संबंधित वनरक्षक द्वारा दिनांक 29–04–2023 को निकटतम पुलिस थाना नेपानगर में उक्त हेमर गुम हुये हेमर के संबंध में सूचना दर्ज कराई गई।

वन वित्तीय नियम धारा 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये उक्त हेमर वनमंडल स्टाक से अपलेखित किया जाता है। इस विज्ञप्ति के फलस्वरूप कोई भी कार्य NK↑331 का अनाधिकृत रूप से रखने एवं उपयोग करते पाया जाता है तो उसके विरुद्ध वन अधिनियमों के तहत दण्डित करने की वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। यदि किसी व्यक्ति को उक्त हेमर मिले तो वह निकटतम थाने या वनविभाग के कार्यालय में तत्काल जमा करे या सूचना देवे।

उक्त गुमशुदा पासिंग हेमर की बाजार दर कीमत रुपये 895/- (आठ सौ पंचानवे) एक मुश्त श्री विजय कन्नौजे वनरक्षक के वेतन से कटौत्री/चालान द्वारा जमा करने का आदेश किया जाता है।

हेमर निशान



(G-1919)

विजय सिंह, भा.व.से. वनमंडलाधिकारी।

कार्यालय, सहायक आबकारी आयुक्त, जिला धार मध्यप्रदेश

क्र./आब./बकाया/2022/4313

धार, दिनांक 30 दिसम्बर, 2022

सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है कि, धार जिले के आबकारी बकायादारों से मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में देशी/विदेशी मदिरा एकल समूह गंधवानी के पुनर्निष्पादन से शासन को हुई राजस्व हानि/खिसारे की राशि रूपये 8,31,01,611/- एवं देशी/विदेशी मदिरा एकल समूह बदनावर के पुनर्निष्पादन से शासन को हुई राजस्व हानि/खिसारे की राशि रूपये 1,27,14,665/- इस प्रकार कुल राशि रूपये 9,58,16,276/- अवशेष बकाया राजस्व की वसूली की जाना है। इस बाबत् बकायादार श्री राजेश पिता रघुवीर शरण साहू निवासी विरगांव झांसी (उ.प्र.) की चल/अचल सम्पत्ति की जानकारी प्राप्त की जाना है, जिससे संबंधित बकायादार से नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जा सके। इस संबंध में सर्वसाधारण को श्री राजेश पिता रघुवीर शरण साहू की चल/अचल सम्पत्ति की जानकारी मालूमात हो तो आबकारी विभाग जिला धार को सचित करने का कष्ट करें। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाकर उचित इनाम दिया जायेगा।



बकायादार राजेश पिता रघुवीर शरण साहू
निवासी विरगांव झांसी (उ.प्र.)

(G-1920)

विक्रमदीप सांगर, सहायक आबकारी आयुक्त।

इसे वेबसाइट www.govtprint.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 सितम्बर 2023—आश्विन 7, शक 1945

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)